



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. **District (ज़िला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Panchkula **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011

Date (दिनांक): 30/07/2026

19:01

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 26/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 30/07/2026

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/07/2026 **Time (समय):** 18:21 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 019 **Time (समय):** 30/07/2026 18:21 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): SOUTH-WEST, Beat No. (बीट सं.): 4 Km(s)
(b) Address (पता): PANCHKULKA,
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता /

सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): रोहताश उर्फ रोहित पुत्र श्री सुभाष चन्द्र
- (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1994 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
- (e) UID No. (यूआईडी सं.):
- (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
- (g) Occupation (व्यवसाय):
- (h) Address (पता):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	गाँव चिकनवास थाना अग्रोहा, जिला हिसार, AGROHA, HISAR, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	गाँव चिकनवास थाना अग्रोहा, जिला हिसार, AGROHA, HISAR, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	सब इन्सपेक्टर देशराज		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
---------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल लेख इस प्रकार से है

सेवा में,

श्रीमान जी,

निवेदन है कि मैं रोहताश उर्फ रोहित पुत्र श्री सुभाष चन्द निवासी गाँव चिकनवास थाना अग्रोहा जिला हिसार का रहने वाला हूँ और पिछले तीन साल से पंचकूला में रह रहा हूँ और गाडी चलाने का काम करता हूँ। दिनांक 26.07.2026 को मेरी दोस्त सुमन सहारण और मैं सैक्टर 21 पंचकूला की मार्किट में थे। हमारा किसी बात को लेकर आपस में झगडा हो गया था। झगडा होने पर सुमन ने पुलिस बुलाने की धमकी दी और मैं घबरा कर वहाँ से चला गया था। मुझे बाद में पता चला की सुमन ने मेरी दरखास्त चौकी में दे दी और मेरी Dzure कार नम्बर HR39G-2960 भी चौकी में खडी है। मेरी दरखास्त सब इन्सपैक्टर देशराज के पास है जो चौकी सैक्टर 21 पंचकूला में लगा हुआ है। हमारा दोनो पक्षों का दिनांक 27.07.2026 को आपस में लिखित समझौता हो गया था और मेरी कार चौकी में ही खडी है उसने समझौता होने के बावजूद भी कार नहीं दी। दिनांक 28.07.2026 को मेरा दोस्त महेन्द्र मेरी कार लेने के लिए चौकी में गया तो देशराज चौकी में मिला और उसने कहा कि आपकी कार का चालान कर देता हूँ और चालान भुगतने के बाद अपनी कार ले जाना। मेरे दोस्त ने देशराज को बार-बार अनुरोध किया और कहा कि कार को छोड दो जनाब पर देशराज ने कोई बात नहीं सुनी। दिनांक 29.07.2026 को मैं और मेरा दोस्त महेन्द्र कार लेने के लिए दोबारा से चौकी में गए जो देशराज ने कार देने से मना कर दिया और भारी जुर्माने वाला चालान का डर दिखाने लगा मैंने व मेरे दोस्त महेन्द्र ने बार बार देशराज से विनती की परन्तु उसने कहा कि अगर आपने कार छुडवानी है तो 5 हजार रुपये लगेगें नहीं तो आपकी कार का मोटा चालान कर दिया जाएगा। मैंने इस सारी बातचीत की रिकार्डिंग, रिकार्डिंग डिवाइस में की हुई है। इसके बावजूद भी देशराज नें कार मुझे नहीं दी और कहा कि महेन्द्र को रिश्त की राशि 5 हजार रुपये देकर भेज देना मैं कार महेन्द्र को दे दूँगा। वह मुझे रिश्त देने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं यह राशि सब इन्सपैक्टर देशराज को देना नहीं चाहता और रिश्त की राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। सब इन्सपैक्टर देशराज के खिलाफ कानूनी



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

कारवाई की जाए। रिकार्डिंग डिवाइस आपको दे दिया है। SD-Rohtash, Rohtash urf ROHIT S/o SUBHASH Chander VPO CHIKANWAS DISTT HISAR 8168052929

कार्यवाही पुलिस – आज मैं निरीक्षक उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार हाजिर मुख्यालय हूँ। जो रोहताश @ रोहित पुत्र श्री सुभाष चन्द निवासी गाँव चिकनवास थाना अग्रोहा जिला हिसार ने मुझे एक शिकायत खुद लिखित पेश की और अपनी शिकायत के साथ रिकार्डिंग डिवाइस पेश किया। रिकार्डिंग अनुसार उप निरीक्षक देशराज द्वारा शिकायतकर्ता से शिकायत अनुसार मांगी गई रिश्त की पुष्टि होनी पाई गई है जो शिकायत के सार से व रिकार्डिंग डिवाइस में की गई रिकार्डिंग से अपराध जेर धारा 7,पी.सी.एक्ट 1988(शशोधित 2018) का होना पाया गया है जिस पर रेडिंग टीम तैयार की गई रेडिंग टीम में स.उ.नि. प्रदीप कुमार 660/PKL, स.उ.नि. नरेन्द्र कुमार 11/PKL, मु0सि0 राकेश कुमार 26/PKL, इ.ए.एस.आई. दर्शन सिंह न. 340/YNR, सिपाही राजन न. 2757/GGM, सिपाही विशाल 570/YNR, के व गाडी सरकारी न. HR03GV 7853 जिसका चालक सिपाही सुभाष 709/PKL शामिल हैं रेडिंग किट लैपटाप प्रिन्टर साथ है जिस पर लेख लिखकर बराये करने अंकित अभियोग बादस्त E/ASI दर्शन सिंह 341/YNR के थाना सैक्टर-17 भेजा जा रहा है अभियोग अंकित करने उपरान्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां बतौर स्पेशल रिपोर्ट, स्पेशल जज अदालत पंचकूला व उच्च अधिकारियों को ईमेल के माध्यम से भेजी जाए तथा अभियोग की पुलिस फाइल मौका पर भिजवाई जाए। रेड कार्यवाही के लिए उच्च अधिकारियों से राजपत्रित अधिकारी/स्वतंत्र गवाह व छाया गवाह नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। मैं निरीक्षक मय साथी कर्मचारियों के रेड कार्यवाही में व्यस्त होता हूँ।

अज – SV ACB (H) सैक्टर -23 पंचकूला।

Rupesh

(रूपेश चौधरी, निरीक्षक)

थाना रा.स. एवं. भ.नि.ब्यूरो,

सैक्टर -17 पंचकूला।

दिनांक 30.07.2026

समय 05:40 PM

उपरोक्त तहरीर पर अभियोग नम्बर 11 दिनांक 30.07.2026 धारा 7 पी.सी.एक्ट 1988 थाना राज्य सर्तकता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सैक्टर-17 पंचकूला अंकित करके स्पेशल रिपोर्ट ई. मेल के



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

माध्यम से स्पेशल मैजीस्ट्रेट साहब, पंचकुला जिला पंचकुला की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है। असल तहरीर व अभियोग की पुलिस फाईल ई.ए.एस.आई.दर्शन सिंह 341/यमुनानगर के माध्यम से मोक़ा पर भेजी गई है। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

- 13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): or (या) Rank (पद): I (Inspector)

- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):

Rupesh Chaudhary

No. (सं.): KR14 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

Directed (Mobile No. of I.O.) (जांच अधिकारी का मोबाइल नंबर): 919416475296

- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या) District (ज़िला):

- (4) Transferred to P.S. (थाना):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT **(Under Section 173 B.N.S.S)**

प्रथम सूचना रिपोर्ट

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

**14. Signature / Thumb
impression
of the complainant /
informant (शिकायतकर्ता /
सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे
का निशान)**

**Signature of Officer in charge, Police
Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Name (नाम): MOHIT HANDA

**Rank (पद): SP (Superintendent of
Police)**

No. (सं.): IPS

**15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक
और समय):**



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1975				
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)



HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES (हरियाणा पुलिस नागरिक सेवा)

FIRST INFORMATION REPORT (Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट